क्रमांक / जिडिफाप्रालि / वनभूमि / व्यपवर्तन / 2021 / 10 दिनांक 17/10/2022

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
कोरिया वनमंडल,
कोरिया (छ.ग.)

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fibre Private Ltd., Raipur Laying of Optical Fibre Cable (OFC) line in Korea Forest Division under Korea District of Chhattisgarh State, Area- 3.309 ha.**
ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/146529/2021

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध / व.सं.अ.) का पत्र क्रमांक / भू–प्रबंध / विविध / एल.एम.– 115-908A/2469 रायपुर दिनांक 11.10.2021

———0———

विषयांतर्गत जियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोरिया वनमंडल अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् नियमानुसार आवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध / व.सं.अ.) कार्यालय को किया गया, जिस पर उनके द्वारा प्रस्ताव पंजीकृत कर प्रस्ताव क्रमांक FP/CG/OFC/146529/2021 किया जाकर ऑनलाईन फार्म "ए" की हस्ताक्षरित प्रति मय संलग्न मूल अभिलेख, डिमांड ड्राफ्ट के साथ वनमंडल कार्यालय जमा करने के निर्देश उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से दिया गया है।

संदर्भित पत्र के परिपालन में शासन द्वारा निर्धारित 21 बिन्दुओं चेक लिस्ट में प्रस्ताव ऑनलाईन फार्म "ए" की हस्ताक्षरित प्रति सहित तैयार कर, पंजीयन शुल्क रूपये 6000/- (डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 226839 दिनांक 16.11.2021) एवं प्रसंस्करण शुल्क रूपये 29000/- ((डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 226840 दिनांक 16.11.2021) कुल रूपये 35000/- संलग्न कर वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव हेतु 21 बिन्दुओं की बिन्दुवार विवरण एवं संक्षिप्त टीप निम्नानुसार है :–

बिन्दु क्रमांक – 1 आवेदक विभाग का मांग पत्र। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक 1)

– जियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोरिया वनमंडल अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 3.309 हे. वनभूमि गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है। (मांग पत्र संलग्न)

बिन्दु क्रमांक – 2 प्रपत्र 1 में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष / पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक 2 से 8 तक)

– प्रस्ताव का रंजिस्ट्रेशन नं. FP/ CG/OFC/146529/2021

बिन्दु क्रमांक – 3 वन क्षेत्र विवरण। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक–9 से 12 तक)

4th Floor, Office BlocK, Office No.401-405, Ambuja Mall, Vidhansabha Road, Mowa (Saddu), Raipur (Chhattisgarh)-492014
Office Phone No. : 0771-3557701
Jio Digital Fibre Private Limited: CIN U64200GJ2018PTC105652
Registered Office: Office - 101, Saffron, Nr. Centre Point, Panchwati 5 Rasta, Ambawadi, Ahmedabad ...

– इस प्रस्ताव अंतर्गत 3.309 हेक्टेयर वनभूमि का व्यपवर्तन किया जाना प्रस्तावित है, जिसका विवरण संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक – 4 गैर वन क्षेत्र विवरण। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक–13 से 14 तक)

– प्रस्ताव अंतर्गत गैर वनभूमि का ग्रामवार विवरण संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक – 5 प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक 15)

– सर्वे ऑफ इंडिया की टोपो शीट 1:50000 स्केल पर प्रस्तावित वन क्षेत्र को चिन्हांकित कर प्रस्तुत है। प्रस्तावित वनभूमि का DGPS Survey Report भी (पेज क्रमांक 15 A से 28 तक) संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक – 6 वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक 29 से 47 तक)

– प्रस्तावित वनक्षेत्र का वन प्रबंधन सूचना प्रणाली, रायपुर से प्राप्त कर वनस्पति मानचित्र 1:50000 स्केल पर इंन्डेक्स मैप प्रस्ताव में समायोजित किया गया है।

बिन्दु क्रमांक – 7 प्रपत्र–IV में प्रस्ताव। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक 48 से 55 तक)

– प्रस्ताव प्रपत्र–IV में तैयार कर प्रस्तुत है।

बिन्दु क्रमांक – 8 प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक 56 से 57 तक)

– जियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोरिया वनमंडल अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए वनभूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है। इस संबंध में विस्तृत टीप संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक – 9 न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगित्ता प्रमाण पत्र। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक 58)

– इस प्रस्ताव अंतर्गत 3.309 हेक्टेयर वनभूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत् व्यपरिवर्तित किया जाना है। इस प्रकरण में मांग की गई वनभूमि न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। इस संबंध में प्रमाण– पत्र संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक – 10 अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक 59)

– इस प्रकरण अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है, अतः अधिनियम उल्लंघन हेतु जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है।

बिन्दु क्रमांक – 11 वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम, सील एवं दिनांक सहित(प्रपत्र I से IV) (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक 60 से 69 F तक)

– इस प्रस्ताव अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में प्रपत्र–I संलग्न कर प्रस्तुत है। प्रपत्र–II से IV विभाग द्वारा संलग्न किया जावेगा।

बिन्दु क्रमांक – 12 ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक–70)

– आवेदित वनभूमि के आस–पास कोई ऐतिहासिक स्थल नहीं है। इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक – 13 संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक 71 से 107 तक)

– इस प्रस्ताव अंतर्गत संबंधित ग्राम पंचायतों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक – 14 जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे.में)। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक–108)

– जानकारी वनमंडल स्तर पर भरा जाना है।

बिन्दु क्रमांक – 15 व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक–109)

– जानकारी वनमंडल स्तर पर भरा जाना है।

बिन्दु क्रमांक – 16 व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक–110)

– जानकारी वनमंडल स्तर पर भरा जाना है।

बिन्दु क्रमांक – 17 प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक–111 से 112 तक.)

– प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक – 18 वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो तो भी प्रमाणित होगा) (भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. 11-9/1998-FC दिनांक 03.08.2009) ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव (Resolution) आवश्यक रूप से संलग्न करें। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक 113 से 115 तक)

– इस प्रस्ताव अंतर्गत वन अधिकार मान्यता प्रमाण–पत्र की मांग कलेक्टर, कोरिया से की गई है। जिसकी पावती अभिस्वीकृति संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक – 19 राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक–116 से 119)

– राजस्व वनभूमि हेतु कलेक्टर महोदय, कोरिया से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक – 20 पंजीयन क्रमांक –पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण।
(प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक–120)

– इस प्रस्ताव हेतु हमारे द्वारा विधिवत पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क जमा किया गया है, जिसका विवरण संलग्न है।

4th Floor, Office BlocK, Office No.401-405, Ambuja Mall, Vidhansabha Road, Mowa (Saddu), Raipur (Chhattisgarh)-492014

Office Phone No. : 0771-3557701

Jio Digital Fibre Private Limited: CIN U64200GJ2018PTC105652

Registered Office: Office - 101, Saffron, Nr. Centre Point, Panchwati 5 Rasta, Ambawadi, Ahmedabad-380006, Gujarat, India
Tel no: 079-35600100

बिन्दु क्रमांक – 21 वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)का अभिमत। (प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक–121)

– इस प्रस्ताव के अंतर्गत वन्यप्राणी परियोजना का निर्माण नहीं किया जाना है। अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)का अभिमत की आवश्यकता नहीं है।

"मेसर्स जियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड" द्वारा कोरिया जिले के कोरिया वनमंडल अंतर्गत सोनहत–रामगढ़, सोनहत–मोहरसोप, पथरगवां–कटगोड़ी, महेशपुर– लोटाबहरा, रोझी–शिवपुर, नेरूवा–भरतपुर, चरचा– सोनहत, बरबसपुर– शिवपुर, चोटिया– बहेराबंध, नागपुर– चिरमिरी एवं मनेन्द्रगढ़– मरवाही मुख्य मार्गो के समानांतर कुल 141.080 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ–वे (RoW) अंतर्गत आप्टिल फायबर केबल बिछाने का कार्य प्रस्तावित है। इस कार्य को संपादित करने हेतु आवश्यक लागत रूपये 390 लाख है।

मोबाईल नेटवर्क कनेक्टिविटी का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण से लगभग 50 ग्रामों एवं उससे लगे अन्य ग्रामों में शिक्षा, चिकित्सा तथा रोजगार सृजन के अवसर में वृद्धि होकर उस क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास भी होगा।

संलग्न :– प्रस्ताव (5 प्रति में)
डिमांड ड्राफ्ट उपरोक्तानुसार ।

Jio Digital Fiber Pvt.

(अरुन कुमार सिंह)
असिसटेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
ज़ियो डिज़ीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)